सं० सं० - 01/ई०उ० - 8 - 800-1/13 - 2393

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

दखलकार/कार्यपालक अध्यक्ष/महाप्रबंधक/प्रबंधक,
बिहार राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिलें।

2. ईख पदाधिकारी (सभी)/विशेष ईख पदाधिकारी (सभी)/सहायक ईखायुक्त (सभी)/विभागीय पदाधिकारी (सभी)।

पटना, दिनांक– 12 अक्टूबर, 2015

विषयः– **पेराई सत्र 2015–16 के लिए गन्ने के सट्टे एवं आपूर्ति की नीति।**

महाशय,

बिहार राज्य में लगभग पाँच लाख ईखोत्पादक राज्य में कार्यरत 11 चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति करते है। प्रत्येक चीनी मिल के लिए बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा–31 में अन्तर्निहित प्रावधान के अन्तर्गत आरक्षित क्षेत्र का गठन किया जाता है तथा संबंधित मिलों के लिए गठित उक्त आरक्षित क्षेत्र से अपने चीनी मिल के लिए पेराई हेतु ईखापूर्ति प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की जाती है। विगत वर्षो में यह देखा गया है कि राज्य की चीनी मिलें अपने आरक्षित क्षेत्र में उत्पादित कुल गन्ने का 40 से 45 प्रतिशत ही पेराई कर पाती हैं। यह भी स्पष्ट हुआ है कि जब ईख मूल्य का दर अधिक लाभकारी होता है तो किसान गन्ने की अधिक खेती करते हैं परन्तु, जब ईख मूल्य का दर अपेक्षाकृत कम लाभकारी होता है तो गन्ने की खेती में कमी दृष्टिगोचर होती है। यह भी देखा गया है कि उपर्युक्त कारणों से कभी चीनी मिलें फरवरी–मार्च में बंद हो जाती है तो कभी जुलाई तक चलती है। साथ ही आरक्षित क्षेत्र अंतर्गत गन्ने की खेती में बढ़ोत्तरी की स्थिति में किसानों द्वारा अपने गन्ने के आपूर्ति हेतु मिलों पर दबाव बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि आरक्षित क्षेत्र में उत्पादित ईख के साम्यपूर्ण खपत एवं गन्ना कृषकों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के उद्देश्य से पर्चियों के वितरण हेतु कैलेण्डिरिंग की व्यवस्था को पारदर्शी एवं व्यवहारिक बनाया जाय। उस निमित्त राज्य की चीनी मिलों की पेराई क्षमता के अनुसार गन्ना उत्पादन तथा गन्ने की उपलब्धता में संतुलन बनाया जाए जिससे चीनी मिलों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप पेराई हेतु गन्ना उपलब्ध हो सके तथा चीनी मिलों में आपस में गन्ना प्राप्त करने की अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न न हो पाये। उपर्युक्त समस्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए आगामी पेराई सत्र 2015–16 के लिए गन्ने की **आपूर्ति नीति** घोषित करते हुए चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:–

1. <u>चीनी मिलों के लिए अपेक्षित ईख की मात्रा</u> :– बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा–27 मे अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ईखायुक्त द्वारा प्रत्येक चीनी मिल के लिए अपेक्षित ईख की मात्रा का निर्धारण अलग से किया जायेगा। चीनी मिलों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने आरक्षित क्षेत्र अन्तर्गत उत्पादित गन्ने के ड्रावल रेट को अधिक से अधिक बढ़ायें एवं न्यूनतम् 60 से 70 प्रतिशत गन्ने का ड्रावल प्राप्त करें।

2. <u>बेसिक कोटा</u> :– बेसिक कोटा के गणना की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी।

   (i) विभागीय पत्रांक–883 दिनांक–11.04.2015 के माध्यम से सर्वेक्षण सत्र 2014–15 (वास्ते सत्र 2015–16 के लिए) घोषित गन्ना सर्वेक्षण नीति, 2015 में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सर्वेक्षण के दौरान गन्ना कृषकों द्वारा विहित प्रपत्र में उपलब्ध करवाये गये भूमि का व्यौरा संबंधित चीनी मिलों में संधारित किया जायेगा तथा समय–समय पर वर्षवार उसमें होने वाले परिवर्तनों को अद्यतन किया जायेगा।

   (ii) प्रत्येक चीनी मिल अपने आरक्षित क्षेत्र अन्तर्गत उन्हीं किसानों से गन्ने आपूर्ति हेतु सट्टा करेगी जिनके पास राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि हो या जो उस भूमि में हिस्सेदार हों। किन्तु, रेल, राजस्व वन एवं सिंचाई विभाग द्वारा यदि किसी किसान को पट्टे पर भूमि दी गई है तो इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर बोए गये गन्ने का सर्वेक्षण एवं सट्टा पट्टेदार के नाम से किया जायेगा।

   (iii) मृतक सदस्यों के वारिस सदस्यों से उनकी तीन प्रतियों में पासपोर्ट साईज की फोटो एवं बैंक खाता नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं भूमि में हिस्सेदारी की जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं सम्पुष्टि के पश्चात् उसकी प्रविष्टि कर अनुरक्षित की जायेगी।

   (iv) आरक्षित क्षेत्र अन्तर्गत पुराने गन्ना कृषक जिन्होंने विगत दो वर्षो में गन्ने की आपूर्ति संबंधित चीनी मिल में नहीं किया हो परन्तु, चालू वर्ष के लिए गन्ने की खेती की है, तो उनके नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि के अन्तर्गत लगाये गये गन्ने के रकवे के लिए सट्टा किया जायेगा।

   (v) <u>ईखापूर्ति हेतु कृषकों के बेसिक कोटा का निम्न प्रकार निर्धारण किया जायेगा</u> :-

   चूँकि ईखापूर्ति हेतु पेराई वर्ष 2013–14 के पूर्व के उपलब्ध ऑकड़े नियमानुकूल एवं पूर्ण रूपेण सही नहीं है तथा पेराई सत्र 2014–15 में GPS प्रणाली के माध्यम से सर्वेक्षण करवाया गया था तथा पेराई सत्र 2015–16 के लिए शुद्ध सर्वेक्षित रकवे की जानकारी हेतु विभागीय पत्रांक–883 दिनांक–11.04.2015 के माध्यम से घोषित गन्ना सर्वेक्षण नीति में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत GPS प्रणाली के माध्यम से सर्वेक्षण करवाया जा रहा है अतः गत् तीन वर्षो में करवाये गये Crop cutting के ऑकडों पर आधारित औसत उत्पादकता लगभग 68 टन/हे० को ध्यान में रखते हुए राज्य की सभी चीनी मिलें दिनांक–10.09.2015 को सम्पन्न विभागीय बैठक में उनके द्वारा दिये

गये सहमति के अनुरूप 140 क्विंटल/एकड़ के दर पर supply yield को ऑकलित करते हुए अपने आरक्षित क्षेत्र के किसानों से सट्टा/एकरारनामा करेंगी एवं उसी आधार पर आगामी पेराई सत्र 2015–16 में ईखापूर्ति हेतु कैलेण्डरिंग का निर्माण करेगी। आगे के पेराई सत्रों में तीन पेराई सत्रों के आपूर्ति के औसत को आधार मानकर गन्ना कृषकों का बेसिक कोटा निर्धारित करने की कार्रवाई की जायेगी।

(vi) यदि कुल सट्टा/एकरारनामा चीनी मिल की निर्धारित गन्ने की आवश्यकता से अधिक हो रहा है तो उसे प्रोरेटा के आधार पर घटाते हुए कुल सट्टा की मात्रा चीनी मिल की निर्धारित आवश्यकता की सीमा तक लायी जायेगी। परन्तु, यदि चीनी मिल क्षेत्र में कुल कृषकों का बेसिक कोटा चीनी मिल की निर्धारित गन्ने की आवश्यकता से कम होता है तो इस अंतर की मात्रा को अतिरिक्त सट्टा से पूरा किया जा सकेगा।

(vii) **उपरोक्त बेसिक कोटा की अधिकतम मात्रा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित आधार होंगे :–**

(क) किसी कृषक की कुल भूमि सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत अनुमान्य भू-क्षेत्र से अधिक नहीं मानी जायेगी।

(ख) कृषक के वास्तविक कृषि योग्य भूमि की गणना करते समय उसकी आवासीय भूमि, बाग, तालाब आदि भू–क्षेत्रों को कुल भूमि क्षेत्रफल में से निकाल दिया जायेगा।

(ग) चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति हेतु किसी कृषक के अधिकतम गन्ना क्षेत्रफल के आगणन हेतु उसके द्वारा बोये गये गन्ने का शत–प्रतिशत क्षेत्रफल अंकित होगा। कृषक का कुल गन्ना क्षेत्रफल उसके द्वारा धारित कुल कृषि योग्य भूमि से अधिक नहीं होगा।

(घ) सट्टे के प्रयोजन हेतु कृषक द्वारा गत वर्ष में विभागीय पौधशालाओं को बीज के रूप में आपूर्ति की गई गन्ने की मात्रा भी सम्मिलित की जायेगी।

(च) गन्ना उत्पादन की गणना हेतु मिल से संबंधित जिले में क्राप कटिंग प्रयोगों पर आधारित प्रति हेक्टेयर औसत ऊपज को आधार माना जायेगा।

(छ) किसी पेराई सत्र में कृषक के कुल उत्पादन की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी:–

गन्ना उत्पादन (क्विंटल में) = कृषक का वर्तमान वर्ष में गन्नें का क्षेत्रफल (हेक्टेयर) x चीनी मिल से संबंधित जिले में पूर्ववर्ती वर्ष में किये गये क्रॉप कटिंग प्रयोगों पर आधारित औसत ऊपज (क्विंटल/हेक्टेअर)।

(ज) गन्ना कृषक का गन्ना क्षेत्रफल की गणना 3 (viii) (ग) के अनुसार अंकित किया जायेगा।

(झ) ऊपज बढ़ोत्तरी एवं अतिरिक्त सट्टा (Additional Bonding) जिन किसानों के पास गन्ने की ऊपज निर्धारित किये गये औसत ऊपज से अधिक है, वे यदि आवश्यक समझें तो ऊपज बढ़ोत्तरी हेतु अपने चीनी मिल में अभ्यावेदन दे सकते हैं। इस हेतु उन्हें निश्चित राशि प्रति क्विंटल की दर से आवेदन शुल्क सहित जमीन के स्वामित्व से संबंधित प्रमाण–पत्र के साथ अभ्यावेदन चीनी मिल में देना होगा। ऊपज बढ़ोत्तरी एवं additional Bonding पर निर्णय संबंधित ईख पदाधिकारी / विशेष ईख पदाधिकारी एवं मिल के प्रबंधक / प्रतिनिधि द्वारा फसल का अवलोकन कर संतुष्ट होने के पश्चात् दोनों की सहमति से लिया जायेगा तथा ऐसे किये गये सभी निर्णयों से विभाग को समय पर जानकारी दी जायेगी।

(ट) <u>अतिरिक्त सट्टा के अधिकतम मात्रा का निर्धारण</u>:– गन्ना क्षेत्रफल (हेक्टेयर) x 810 क्विंटल / हे०। उस आधार पर ऊपज के महत्तम 85% तक ऊपज बढ़ोत्तरी ऑकलित करने की अधिसीमा रहेगी।

(ठ) कृषकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जायेगा :–

- (i) सीमान्त कृषक – 1 हेक्टेयर (140 क्विंटल / एकड़)।
- (ii) लघु कृषक – 2 हेक्टेयर (140 क्विंटल / एकड़)।
- (iii) सामान्य कृषक – 5 हेक्टेयर (140 क्विंटल / एकड़)।

(ड) विश्वविद्यालय, गन्ना बीज निगम, चीनी मिल, केन्द्र एवं राज्य, जेल, पंजीकृत सहकारी संस्थान जिनके नाम से भूमि हो, के कृषि फार्म सट्टे के अधिकतम् सीमा से मुक्त रहेंगे परन्तु उसके लिए ईखायुक्त की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।

(ढ़) कृषकवार सट्टे का प्रदर्शन, प्राधिकृत पदाधिकारी के प्रतिनिधि एवं मिल के ईख प्रबंधक के प्रतिनिधि द्वारा संबंधित ग्राम में सार्वजनिक स्थल पर 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2013 के बीच किये जायें। इसकी पूर्व सूचना एस॰एम॰एस॰ के माध्यम से किसानों को दिया जाय। व्यापक प्रचार–प्रसार भी कराया जाय। किसानों से प्राप्त आपत्तियों को पंजी में सूचीवद्ध किया जाय तथा आपत्तियों पर जाँच कराने के उपरान्त प्राधिकृत पदाधिकारी एवं ईख प्रबन्धक संयुक्त निर्णय लेंगे।

3. कृषकों के निर्धारित सट्टे से अधिक गन्ने की खपत के संबंध में छूटः

यदि किसी कृषक के पास उसके निर्धारित सट्टे से अधिक गन्ना उपलब्ध है तो उसे वह खण्डसारी इकाइयों को आपूर्ति करने या गुड़ बनाने में उपयोग करने आदि में स्वतंत्र होगा तथा सट्टे से अधिक उत्पादित गन्ने की खरीद हेतु चीनी मिलों का कोई दायित्व नहीं होगा।

4. **सट्टे से कम आपूर्ति एवं खरीद होने की दशा में पेनाल्टी:**

जो कृषक निर्धारित सट्टे की मात्रा का 85 प्रतिशत के बराबर गन्ने की आपूर्ति चीनी मिल को करेंगे उनसे कोई पेनाल्टी नहीं ली जायेगी किन्तु, 85 प्रतिशत के कम आपूर्ति होने पर कृषक को तथा मिल द्वारा उनसे निर्धारित मात्रा में गन्ना का क्रय नहीं किये जाने की स्थिति में बिहार ईख (खरीद एवं विनियमन) नियमावली–1978 के नियम–25 के प्रपत्र–14 विनिर्दिष्ट दर के अनुसार पेनाल्टी देय होगी।

5. विभागीय पत्रांक–883 दिनांक–11.04.2015 के माध्यम से गन्ना सर्वेक्षण सत्र 2014–15 वास्ते पेराई सत्र 2015–16 के लिए ईख आच्छादित क्षेत्रों को संयुक्त सर्वेक्षण करवायी जाने से संबंधित विस्तृत नीति की घोषणा की जा चुकी है। तद्नुसार किये शुद्ध सर्वेक्षण एवं उस आधार पर ऑकलित सट्टा (आपूर्ति एवं एकरारनामा योग्य गन्ना) के आधार पर ईखापूर्ति हेतु कैलेण्डरिंग निर्माण करने के पूर्व चीनी मिलों द्वारा कम्प्यूटर के माध्यम से, अपने आरक्षित क्षेत्रान्तर्गत ईख आच्छादित ग्रामों का किसानवार भूमि के विवरण सहित ईख आच्छादन का विवरण जिसमें लगाये गये ईख का रकवा, प्रभेद का नाम, खूँटी या मोरहन, निर्धारित सम्पाई ईल्ड के अनुरूप सट्टा/नियमावली के नियम–25 प्रपत्र–14 के अनुरूप एकरारनामा योग्य गन्ने की मात्रा, मोड ऑफ सप्लाई एवं आपूर्ति स्थल (मिल गेट/क्रय केन्द्र) का नाम भी अंकित रहेगी। तद्नुसार, कुल आपूर्ति कर्त्ताओं की संख्या को भी स्पष्ट की जायेगी एवं किसानों का मोबाईल नम्बर एवं बैंक खाता संख्या भी अंकित किया जायेगा। उपरोक्त आधार पर चीनी मिलों द्वारा अपने आरक्षित क्षेत्र में उपलब्ध प्रभेदवार (प्रभेदो के नाम के साथ) गन्ने के रकवा (Plant & Ratoon) का ग्रामवार विवरण से संबंधित प्रतिवेदन भी तैयार किया जायेगा। दोनों प्रतिवेदनों पर प्राधिकृत पदाधिकारी एवं चीनी मिल के ईख प्रबन्धक हस्ताक्षर करेंगे तथा उसकी एक प्रति संबंधित ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी एवं दूसरी प्रति सहायक ईखायुक्त, उ० बिहार, मुजफ्फरपुर एवं तृतीय प्रति ईखायुक्त को उपलब्ध कराया जायेगा। क्रय केन्द्रों के आवंटन की मांग के निमित्त सभी चीनी मिलों द्वारा उपरोक्त ऑकड़ों के आधार पर केन्द्रवार गन्ने की उपलब्धता की जानकारी देते हुए गन्ने के आवंटन की मांग की जायेगी। प्रतिवेदन के साथ ग्रामों का टैगिंग उनमें उपलब्ध पेराई योग्य गन्नें की मात्रा सहित किसानों द्वारा दिये गये आपूर्ति स्थल की जानकारी के आलोक में यह भी स्पष्ट विवरण अंकित रहेगा कि संबंधित क्रय केन्द्र क्षेत्र से कितना गन्ना क्रय केन्द्र पर उपलब्ध रहेगा तथा कितना गन्ना मिल गेट पर जायेगा।

(i) कृषकों के लिए (जिनके गन्ना के खेतों का GPS प्रणाली से सर्वेक्षण किया गया है) निर्धारित सट्टा के आधार पर ही कलेण्डर बनाया जायेगा जिसमें ग्रामवार कृषक कोड नम्बर अंकित करते हुए निर्धारित एवं आवश्यक सभी सूचनाओं को शुद्ध रूप से सही–सही विवरण अंकित किया जायेगा।

(ii) तैयार किये गये कृषकवार कलेण्डर में मिल चलने के कम से कम 7 दिन पूर्व कृषकों में वितरित कर दिया जायेगा। अन्तिम रूप से जारी कलेण्डर/कम्प्यूटर में तदोपरान्त चीनी मिल/ईख पदाधिकारी के स्तर से कोई संशोधन अनुमान्य नहीं होगा।

(iii) कलेण्डरिंग में सर्वप्रथम Early ratoon, Early Plant उसके पश्चात् सामान्य से निम्न/ गैर अनुशंसित प्रभेदों के गन्ने की आपूर्ति प्राप्त करने की व्यवस्था की जाय। कोई भी चीनी मिल ट्रक के माध्यम से किसी भी गन्ना कृषक/विचौलियों के माध्यम से ईखापूर्ति प्राप्त नहीं करेगी। मात्र पशुचालित गाड़ी या ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से ही गन्ने की आपूर्ति मिलों द्वारा प्राप्त की जायेगी तथा उसी आधार पर कैलेण्डरिंग तैयार की जायेगी। पशुचालित गाड़ियों के माध्यम से 20 क्विंटल की आपूर्ति एवं ट्रैक्टर ट्रॉली से आपूर्ति हेतु 20 x 3 = 60 क्विंटल आपूर्ति को आधार मानते हुए कैलेण्डरिंग का निर्माण किया जाए।

(iv) किसी भी पर्ची पर निर्धारित वजन के 15 प्रतिशत से अधिक गन्ना नहीं तौल किया जायेगा। यदि जॉच के दौरान यह पाया जाता है कि किसी पर्ची पर निर्धारित वजन से अधिक गन्ना तौला गया है तो अधिक आपूर्ति किये गये गन्ने के मात्रा को तुरंत समायोजित किया जायेगा। यदि किसी चीनी मिल में निर्धारित वजन से अधिक गन्ना तौल करने के प्रकरण अधिक पाये जाते हो, तो इसे मिल की शिथिलता एवं संलिप्तता मानते हुए संबंधित चीनी मिल के दखलकार एवं प्रबन्धन के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

(v) अपेक्षाकृत छोटे किसानों के खूँटी गन्ने को प्राथमिकता के आधार पर चीनी मिल चलने के 45 दिनों के अन्दर तथा Plant cane को 1 जनवरी से 45 दिनों के अन्दर क्रय करने की व्यवस्था की जायेगी। 5 टायरगाड़ी (100 क्विंटल) सट्टा वाले कृषक ही छोटे कृषक माने जायेंगे।

(vi) कलेण्डर में कृषक के प्रारम्भ से लेकर अग्रिम पर्ची का क्रमांक अंकित किया जायेगा। पर्चियों पर सीरीज के क्रम के क्रमांक मार्किंग का उत्तरादायित्व संबंधित ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी एवं मिल दोनों का संयुक्त रूप से होगा। ऐसी जारी पर्चियों पर मिल की ओर से मुख्य गन्ना प्रबन्धक/जी०एम० केन तथा संबंधित ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे तथा इनके नमूने प्रत्येक ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी क्रय केन्द्र पर उपलब्ध रहेंगे। यदि पर्चियों की संख्या अधिक होने के कारण ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी एवं मुख्य गन्ना प्रबन्धक/ जी०एम० केन सभी पर्चियों पर हस्ताक्षर न कर पाये तो वे अपने अधीनस्थ किसी एक स्टाफ को पर्चियों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत कर सकते हैं। ऐसे अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी के हस्ताक्षर के नमूने संबंधित क्रय केन्द्रों पर भेजे जायेंगे। इस संबंध में चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक एवं ईख पदाधिकारी/

विशेष ईख पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। इन हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत कर्मचारियों को पूरे सत्र में कभी बदला नहीं जायेगा।

(vii) शीघ्र पकने वाली तथा मध्य देर से पकने वाली प्रजातियों की पर्चियों की सीरीज व रंग में अन्तर किया जायेगा। इस प्रकार गन्ना प्रतियोगिता तथा क्राप कटिंग में उपयोग की जाने वाली पर्चियों की सीरीज व रंग में भी भिन्नता होगी। चीनी मिल द्वारा कम से कम तीन दिन पूर्व गन्ना आपूर्ति से संबंधित इण्डेन्ट तैयार कर लिया जायेगा।

(viii) कृषक अपना गन्ना मिल गेट अथवा क्रय केन्द्रों पर जहाँ से वह सम्बद्ध कृषक है, पर ही निर्धारित तिथि/समय में तौलवायेंगे। विशेष परिस्थितियों में यदि कृषक पर्ची पर अंकित तिथि में गन्ना नहीं तौलवा सकता है, तो वह निर्धारित तिथि के 48 घण्टे अर्थात् दो दिन में मिल के ईख प्रबन्धक से तिथि परिवर्तित कराकर अपना गन्ना तौलवा सकता है, अथवा पर्ची पर गन्ना न तौलवाने की दशा में उपरोक्त अवधि में मिल के ईख प्रबन्धक के कार्यालय में पर्ची जमा कर सकता है। ऐसी जमा की गई पर्चियों का निर्गमन पुनः कलेण्डर से जारी करने की व्यवस्था स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप की जायेगी। जमा की जाने वाली पर्चियों का लेखा–जोखा ईख पदाधिकारी की पंजी में रखा जायेगा। यदि किसी कृषक की पर्ची खो जाती है, तो कृषक से शपथ–पत्र लेकर मिल द्वारा पुनः नये सीरीज में नया क्रमांक देकर पर्ची निर्गत की जायेगी। यदि कृषक के द्वारा उपरोक्त सुविधा का दुरूपयोग किया जाता है तो उसकी विस्तृत जॉच संबंधित ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी द्वारा की जायेगी एवं तद्नुरूप वैधिक निर्णय लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

(ix) मिल चलने से एक सप्ताह पूर्व कलेण्डर अनिवार्य रूप से तैयार कर लिए जायेंगे तथा कृषकों को कलेण्डर की प्रति तथा परिचय–पत्र उपलब्ध करा दी जायेगी। कृषकों को कलेण्डर निर्धारित समय सीमा के अन्दर उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित चीनी मिलों का होगा।

(x) गन्ने की समानुपातिक खरीद के सिद्धान्त को अक्षरशःपालन करना अनिवार्य होगा। चीनी मिल द्वारा समानुपातिक आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए ही इन्डेन्ट तैयार किया जायेगा। तद्नुरूप ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी द्वारा क्रय केन्द्रों पर ईख खरीद की दैनिक मात्रा निर्धारित की जायेगी जिसका पालन चीनी मिल द्वारा किया जायेगा। अवहेलना की स्थिति में संबंधित ईख पदाधिकारी द्वारा अभियोजन के प्रस्ताव के साथ ईखायुक्त को जानकारी दी जायेगी।

(xi) समानुपातिक खरीद सुनिश्चित करते हुए यह ध्यान रखा जायेगा कि सभी क्रय क्रेन्द्रों का गन्ना लगभग एक साथ समाप्त हो। कोई क्रय केन्द्रों तभी बंद किया जायगा जबकि कलेण्डर में अंकित सभी कृषकों की पर्चियां जारी हो चुॅकी हो। चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र का समापन ईखायुक्त की पूर्व अनुमति के उपरान्त ही किया जायेगा।

(xii) स्वीकृत गन्ना पौधशाला से बीज लेने वाले कृषकों को आवश्यक पर्चियों का निर्गमन संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास के परामर्श पर ईख पदाधिकारी की अनुमति से उसी मात्रा के लिए दी जायेगी जितनी मात्रा में उनके द्वारा बीज स्वीकृत गन्ना पौधशाला से प्राप्त किया गया है। ऐसी जारी की गई पर्चियों का विवरण एक पृथक रजिस्टर में रखा जायेगा।

(xiii) प्राथमिकता के आधार पर पर्चियां केवल राजस्व विभाग/जिलाधिकारी द्वारा घोषित दैवीय आपदा के लिए कृषकों के सट्टे के भीतर दी जायेगी तथा ऐसे जारी पर्ची की सीरीज भिन्न होगी और इसी प्रकार गन्ना प्रतियोगिता तथा क्राप कटिंग के लिए भी प्राथमिकता के आधार पर पर्चियां कृषकों के सट्टे के भीतर दी जायेगी। ऐसी जारी की जाने वाली पर्चियों के लिए आदेश सहायक निदेशक, ईख विकास से परामर्श कर ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे। ऐसी पर्चियों का लेखा चीनी मिल के एक रजिस्टर में रखा जायेगा। ऐसी पर्चियां व्यापक जॉच–पड़ताल के बाद ही दी जायेगी। प्राकृतिक आपदा जैसे ओला, पाला आदि से प्रभावित गन्ने की प्राथमिकता के आधार पर पर्चियों का निर्गमन ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी की पूर्वानुमति के उपरान्त की जा सकेगी।

(ix) **सैनिको, भूतपूर्व एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रित सदस्यों** की गन्ना **आपूर्तिः–** सैनिकों भूतपर्वू सैनिकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके मृत्यु होने पर उनके विधिक उत्तराधिकारी को अन्य सदस्यों की अपेक्षा गन्ना आपूर्ति में 10 से 20 प्रतिशत की प्राथमिकता दी जायेगी। यह सुविधा कृषक के सट्टे की मात्रा में समायोजित की जायेगी। सैनिक अथवा भूतपूर्व सैनिक के नाम यदि जमीन नहीं है एवं उसके माता अथवा पिता के नाम सट्टा होता है तो उसके माता/पिता के सट्टे में भी यह सुविधा देय होगी। सैनिक होने का प्रमाण–पत्र सेना का सी०ओ० या सचिव जिला सैनिक कल्याण परिषद का मान्य होगा।

6. (i) गन्ना आपूर्ति से संबंधित साफ्टवेयर के सत्यापन हेतु आवश्यक सिक्योरीटी लॉक की व्यवस्था की जायेगी। जिसका अग्रेत्तर संचालन केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की अनुमति के उपरान्त ही किया जायेगा। प्रत्येक चीनी मिल के लिए एक केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी होगी। संबंधित ईख पदाधिकारी/सहायक ईख निदेशक, ईख विकास एवं चीनी मिल के ईख प्रबन्धन इसके सदस्य होंगे।

(ii) मिलगेट पर गन्ने से भरी बैलगाड़ी से लेकर भरे ट्रक तक की तौल करने की क्षमता वाला हस्तचालित तौलयंत्र (टेस्टिंग बेब्रिज) जॉच हेतु स्थापित किया जायेगा।

(iii) ईखायुक्त, बिहार को पूर्व में सूचना/स्वीकृति के उपरान्त पेराई सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व गन्ना आपूर्ति, गन्ना तौल एवं गन्ना मूल्य भुगतान हेतु साफ्टवेयर का उपयोग किया जायेगा। अन्तिम कलेण्डर जारी करने के उपरान्त गोपनीय पासबुक (लॉक) को ईख पदाधिकारी द्वारा डाला जायेगा। यदि पेराई सत्र में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होती है तो ईख पदाधिकारी द्वारा अपनी उपस्थिति/देख–रेख में संशोधन

कराते हुए पुनः पासवर्ड (लॉक–कोड) डाल दिया जायेगा। ईख पदाधिकारी इस आशय का प्रमाण–पत्र संयुक्त/सहायक ईखायुक्त के माध्यम से ईखायुक्त को प्रेषित करेंगे।

(iv) कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत कृषकों के लिए सुलभ स्थान पर एक अतिरिक्त टर्मिनल लगाकर पूछ–ताछ केन्द्र स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा। सहायक ईखायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी व्यवस्था कर ली गयी है।

(v) कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू की जायेगी तथा इसे आंशिक रूप से क्रियान्वित करने का विकल्प नहीं होगा। गन्ना सर्वेक्षण एवं गन्ना आपूर्ति से संबंधित ऑकड़ों से लेकर बैंक एडवाइज बनाने तक की सम्पूर्ण व्यवस्था कम्प्यूटर से की जायेगी।

(vi) चीनी मिल क्षेत्रों के लिए ऐसी प्रजातियों के गन्ने को जिन्हें चरणवद्ध से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया जा चुका है, परिपक्वता अवधि को ध्यान में रखते हुए विलम्ब से आपूर्ति करने की व्यवस्था की जायेगी।

7. **गन्ने का पुनः सर्वेक्षण (री–सर्वे)** : संबंधित ईख पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा के उपरान्त प्रत्येक चीनी मिल के लिए ईखायुक्त द्वारा यथा आवश्यक गन्ने के री–सर्वे के आदेश दिया जा सकेगा।

8. **खूँटी, शरदकालीन एवं शीघ्र पकने वाली गन्ने की प्रजातियों की आपूर्तिः**

(i) खूँटी तथा शरदीकालीन बावग को उपलब्धता के आधार पर अधिकतम 15 जनवरी तक अथवा उसे पूर्व की तिथि जब तक केवल खूँटी एवं शरद बावग के गन्ने से मिल में पेराई सम्भव हो, गन्ने की आपूर्ति की जायेगी। 16 जनवरी से अथवा उससे पूर्व जैसा कि खूँटी तथा शरद बावग की उपलब्धता हो गन्ने की आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। स्पष्टतः केवल खूँटी गन्ने तथा शरद बावग के गन्ने की आपूर्ति पर 16 जनवरी के बाद मिल को नहीं लाया जायेगा। पौधा गन्ने की खरीद अवश्य की जायेगी। कुल संबंधित गन्ने की अधिकतम 60 प्रतिशत सीमा तक गन्ने की आपूर्ति खूँटी के रूप में 15 जनवरी तक की जायेगी चाहे उसके पास इससे अधिक खूँटी गन्ना उपलब्ध हो। अतिरिक्त उपलब्ध खूँटी गन्ने की आपूर्ति सामान्‍ गन्ने के पौधे के साथ ली जायेगी।

(ii) जिन चीनी मिल क्षेत्रों में शीघ्र पकने वाली प्रजातियों का प्रतिशत अधिक है वहाँ पर चीनी मिलों की गन्ना पेराई 15 दिसम्बर तक केवल शीघ्र पकने वाली प्रजातियों की आपूर्ति के आधार पर यथा सम्भव की जायेगी। प्रत्येक दशा में 15 दिसम्बर से अथवा शीघ्र पकने वाले प्रजातियों की उपलब्धता कम होने की स्थिति में उससे पूर्व की तिथि से सामान्य प्रजातियों की खूँटी की आपूर्ति भी प्रारम्भ कर दी जायेगी।

(iii) जहाँ शीघ्र पकने वाली प्रजातियों का गन्ना क्षेत्रफल अधिक है ऐसी मिलों में गन्ने की पेराई थोड़ा पहले आरम्भ करने की प्रयास किये जायें। शीघ्र पकने वाली जाति के गन्ने की प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति हेतु सट्टा केवल कुल सट्टे का सामान्यतया

उस सीमा तक ही किया जायेगा जिस सीमा तक उसके क्षेत्र में शीघ्र प्रजातियों का प्रतिशत है किन्तु यह 50 प्रतिशत से अधिक ग्राह्य न होगा।

(iv) शीघ्र पकने वाली प्रजतियों एवं शरदकालीन बावग के गन्ने की आपूर्ति में प्राथमिकता के कारण कृषकों को दी गई पर्चियों का समायोजन एक साथ करके अवशेष पर्चियों का निर्गमन बन्द नहीं किया जायेगा बल्कि उनकी पर्चियॉ अन्य कृषकों के साथ ही नियमित रूप से प्रदान की जायेगी।

(v) यदि जॉच के समय यह पाया गया कि कोई कृषक शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के नाम पर सामान्य प्रजाति के गन्ने का मिश्रण करके चीनी मिल को आपूर्ति करने का प्रयास कर रहा है तो ऐसे कृषक को शीघ्र पकने वाले गन्ने की प्रजाति पर मिलने वाला अधिक मूल्य देय नहीं होगा तथा गन्ना मूल्य का भुगतान सामान्य प्रजाति की दर से किया जायेगा। साथ ही ऐसे कृषक के विरूद्ध संबंधित ईख पदाधिकारी/चीनी मिल के स्तर से वैधिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

9. (i) **गन्ना मूल्य भुगतानः**

कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान बैंको के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु विगत तीन वर्षो से प्रयास किये जा रहे हैं परन्तु, अबतक विशेष रूप में सासामूसा, गोपालगंज में शत–प्रतिशत बैंको के माध्यम से गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित नहीं हो पाया है। इस संदर्भ में गत् वर्ष दिये गये निदेश के अनुरूप पेराई सत्र 2015–16 से राज्य की सभी चीनी मिलों/राज्य से गन्ना क्रय करने वाली चीनी मिलों द्वारा गन्ना कृषकों को उनके ईख मूल्य का भुगतान बैंक advice/electronic clearance के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। बैंको के माध्यम से गन्ना मूल्य भुगतान में यह ध्यान में रखा जाये कि जो कृषक जिस बैंक शाखा के निकट हो उसका खाता भी उसी बैंक की शाखा में खुलवाया जाए। किसी एक शाखा में बहुत अधिक कृषक सम्बद्ध न किए जाए। बहुत ही विशेष परिस्थितियों में यदि किसी कारणवश कोई कृषक बैंक में खाता नहीं खुलवाता है तो ईखायुक्त की पूर्व अनुमति से एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से गन्ना मूल्य का भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में गन्ना कृषक का नकद भुगतान नहीं किया जायेगा। ईख पदाधिकारी / सहायक ईखायुक्त उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना का यह दायित्व होगा कि इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये तथा इसका उल्लंघन करने वाली चीनी मिलों के विरूद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित करें।

(ii) जहाँ चीनी मिल गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही है वहाँ प्रेषित बैंक एडवाइज की एक प्रति संबंधित चीनी मिले नियमित एवं अनिवार्य रूप से संबंधित ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगी। ईख पदाधिकारी/ विशेष ईख पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी गंभीरता से जॉच करें तथा अनियमितता परिलक्षित होने की दशा में तत्काल निराकरण सुनिश्चित कराते हुए उच्च

स्तर को सूचित करें। ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी अन्य कटौतियों की स्थिति की भी जॉच करते रहें।

(iii) चालू वर्ष से 2014–15 से लागू बिहार गन्ना प्रबन्धन सूचना प्रणाली (BMSIS) के माध्यम से गन्ना कृषकों को उनके पर्चियों के निर्गमन, गन्ने की आपूर्ति, उसके मूल्य भुगतान एवं ईख विकास से संबंधित कार्यक्रमों की सूचना एस०एम०एस० के माध्यम से समय पर उनके मोबाईल पर उपलब्ध कराया जाय।

10. गन्ना आपूर्ति के संबंध में स्थानीय समस्याओं एवं शिकायतों का निराकरण :–

(i) गन्ना आपूर्ति के संबंध में यदि कोई विशेष तात्कालिक समस्या उत्पन्न हो तो संबंधित ईख पदाधिकारी/सहायक ईखायुक्त, उ० बिहार, मुजफ्फरपुर द्वारा तुरन्त नियमानुसार निराकरण करते हुए कृत कार्रवाई की सूचना संबंधित समहार्त्ता एवं ईखायुक्त को दी जायेगी।

(ii) गन्ना आपूर्ति के संबंधित प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण संबंधित ईख पदाधिकारी/सहायक ईखायुक्त, उ० बिहार, मुजफ्फरपुर द्वारा नियमानुसार किया जायेगा तथा कृत कार्रवाई की सूचना संबंधित समाहर्त्ता एवं ईखायुक्त को दी जायेगी।

11. नीतियों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का दायित्व :–

अपने–अपने कार्यक्षेत्र में ईख पदाधिकारी एवं सहायक ईखायुक्त, उ० बिहार, मुजफ्फरपुर का यह दायित्व होगा कि वे उक्त निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित संस्था/कर्मचारी के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करायें।

उपरोक्त आदेश बिहार गन्ना ईख (आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1978 एवं नियमावली, 1978 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किये जा रहे हैं।

Sd/- 9/x/15

ईखायुक्त, बिहार, पटना।